तारीख हुक्म	मु. न. 61/2024 — हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस जज ओमप्रकाश v/s शिवकुमार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
23/2/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थी सं० 4 ता 6 के द्वारा दिनांक 3/9/24 को जवाब पेश किया जा चुका है। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 26/2/26 को पेश हो। अखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	
26/02/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 16/03/26 को पेश हो।	
16/03/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर आज सुनाया गया है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर बाद तकमील अभिलेख दफ्तर हो। अखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः— ~~42/2025~~ 61/2024

1. ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण निवासी उच्चैन।
2. सन्तोष कुमार पुत्र गिरधारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी उच्चैन तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....प्रार्थीगण

वनाम

1.शिवकुमार पुत्र गिरधारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी उच्चैन।
2.गोपाल
3.दाताराम पुत्रान रामदेव जाति गूजर निवासी उच्चैन।
4. निहाल सिंह पुत्र अमरसिंह जाति गूजर निवासी उच्चैन।
5.सुभाष चन्द पुत्र जगन्नाथ
6. प्रहलाद गर्ग पुत्र गोपीचन्द गर्ग जाति बैश्य निवासी उच्चैन।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए

उपस्थिति

1.श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट प्रार्थीगण।
2.श्री गिरधर छावडी एडवोकेट अप्रार्थीगण।

निर्णय **दिनांकः—16.03.2026**

वादी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 832/0.46, 833/0.01, 835/0.32, 839/0.34, 566/0.02, 604/1.17, 865/0.28, 52/0.93, 823/0.64, 824/0.77, 825/1.53, 826/0.01है0 बाके ग्राम जुगला पट्टी एवं नगला टीकेता में स्थित है। उक्त आरजी से खसरा नम्बर 62/0.93 नगला टीकेता पटवार मण्डल मुढेरा एवं शेष आराजी जुगला पट्टी पटवार मण्डल फतेहपुर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी है तथा हम सभी सहखातेदारान के मध्य बंटवारा नहीं हुआ है तथा हम सभी सहखातेदार उक्त आराजी पर सामुहिक रूप से काश्त कर रहे है तथा वर्ष के अन्त में उक्त आराजी से होने वाली आय का आपस में बंटबारा कर लिया करते है इस प्रकार उक्त आराजी पर काश्त कर अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे है। उक्त विवादित आराजी उच्चैन से रूदावल जाने वाले रोड के पश्चिम दिशा में स्थित है लेकिन उक्त आराजी के तरफ उत्तर में उच्चैन बयाना बाईपास रोड बन गया है जिससे उक्त आराजी तरफ पूर्व एवं तरफ उत्तर रोड होने के कारण कीमती हो गई है और अब सह खातेदारान विभाजन नहीं होने का फायदा उठा कर उक्त आराजी के रोड से लगे फन्ट यानि की कीमती हिस्सों पर जबरन कब्जा कर पुख्ता निमार्ण कर उसे बेचान करने पर उतारू है जिसके चलते सभी सहखातेदारान में आपस में झगडे होते रहते है एवं उक्त आराजी पर शान्तिपूर्वक काश्त करना

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

मुश्किल हो गया है। अतः उक्त आराजी विवादित का विभाजन किया जाना आवश्यक हो गया है। दिनांक 02.01.2023 को जब हम प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी की देखभाल कर रहे थे तो अप्रार्थी संख्या 1 मौके पर आ गये एवं उक्त विवादित आराजी के कीमती हिस्से को अन्य किसी दीगर व्यक्ति को बेचान करने एव प्रार्थीगण को उक्त विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी दी जिसके कारण प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 20.03.2024 को प्रार्थीगण निहाल सिंह वगै0 की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया गया। दिनांक 09.04.2024 को उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया गया। दिनांक 03.09.2024 को अप्रार्थीगण संख्या 1,4,5,6 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र मनगढंत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर महज गैरसायल को नाजायज रूप से तंग व परेशान करने की नीयत से पेश किया है वादी क्लीन हैंण्ड से अदालत के समक्ष नहीं आया है। गैरसायलान उत्तरदाता विवादित आराजी के एक सद्भावी क्रेता है जिसे प्रतिफल अदा करते हुये गैरसायलान उत्तरदाता ने गैरसायल शिवकुमार से क्रय किया है और बाद क्रय से आराजी पर कब्जा विधिवत रूप से उस आराजी पर प्राप्त किया है जिस पर बेचान से पूर्व जिस हिस्से पर गैरसायल शिवकुमार काबिज था जिसका उल्लेख उसने अपने वयनामा दिनांकित 01.03.2023 को तहरीर कराकर दिनांक 03.03.2023 को व हक गैरसायलान पंजीबद्ध कराया था उस पर कब्जा गैरसायलान को प्रदान किया है यानि व तरफ उत्तर रूदावल सडक से आम रास्त 20 मोरा बयाना रोड की तरफ पर दिया गया है जिस पर गैरसायलान वाद क्रय से काबिज है सायलान का विवादित आराजी के अन्य भाग पर कब्जाा बजमाने बर्जगान से है इसलिए सायलान खिलाफ गैरसायलान कोई दादरसी पाने का अधिकारी नहीं है। गैरसायलान से सायलान को कभी कोई धमकी किसी प्रकार की नहीं दी है ना ही गैरसायलान ने सायलान की आराजी के किसी भाग पर कोई कभी कब्जा करने का प्रयास नहीं किया गैरसायलान उत्तरदाता की अपने हिस्सा आराजी पर बाद क्रय से काबिज है उस पर शान्तिपूर्वक कब्जा है सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र में कही भी उल्लेख नहीं किया है कि उसने कब व किस दिनांक को गैरसायल से विवादित आराजी का विभाजन कराने हेतु कहा और चुंकि मनवट के आधार पर पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर व जमाने वजुर्गान पृथक–पृथक रूप काबिज है इसलिए सायलान को विरूद्ध गैरसायलान उत्तरदाता कोई बिनाय मुखास्मत ही पैदा नहीं होती है। दिनांक 03.06.2025 को अप्रार्थी संख्या 2,3 का जबाव बंद किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी है जिसका अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है एवं प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर सम्मिलित होकर काश्त कर रहे है। उक्त आराजी के दो तरफ से रोड के सहारे आ जाने के कारण कीमती हो गई है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी के कीमती हिस्से पर कब्जा करना चाहते है एवं अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा उक्त आराजी को बेचान दौराने

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

बाद अन्य व्यक्तियों को कर दिया है इससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण उक्त आराजी के कीमती हिस्से पर कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है। अप्रार्थीगण को ताफैसला बाद जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण के द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र मनगढंत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर महज अप्रार्थीगण को नाजायज रूप से तंग व परेशान करने की नीयत से पेश किया है। अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी के सद्भावी केता है जिसे प्रतिफल अदा करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 से खरीद किया है एवं बेचान से पूर्व जिस हिस्से पर अप्रार्थी संख्या 1 काबिज था उस हिस्से पर कब्जा प्राप्त किया है। प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कही भी उल्लेख नहीं किया है कि उसने कब व किस दिनांक को गैरसायल से विवादित आराजी का विभाजन कराने हेतु कहा और चुंकि मनवट के आधार पर पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर व जमाने वजुर्गान पृथक–पृथक रूप काबिज है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, जबाव प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अपने हिस्से की आराजी का बेचान अप्रार्थी संख्या 4 लगा0 6 के हक में जरिये विकय पत्र दिनांक 03.03.2023 को उप पंजीयक उच्चैन के समक्ष किया है। अप्रार्थी संख्या 4 लगा0 6 को सद्भावी केता होने के कारण दिनांक 09.04.2024 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त पत्रावली पर ऐसा कोई भी दस्ताबेज उपलब्ध नहीं कराया है जिससे स्पष्ट हो सके की उक्त आराजी पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सामूहिक काश्त रही हो। प्राईमाफेसी केस, सुबिधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिंदू प्रार्थीगण के हक में साबित नहीं होते है।

अतः आदेश है:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 16.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसौलिया (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर